संख्या-180/2026/आई/ 1506359/2026/001-23-14002(002)/15/2025-6

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ, दिनांक: 28 अक्टूबर, 2026**

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत लखनऊ एवं गोण्डा क्षेत्र के कुल 29 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-24802/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2026-27, दिनांक 22.09.2026, 24913/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2026-27, दिनांक 25.09.2026, 24895/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2026-27, दिनांक 25.09.2026 एवं 24907/CE-HQ1/CHINIMILL/GON/2026-27, दिनांक 25.09.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू0 255.88 लाख (रूपये दो करोड़ पचपन लाख अट्ठासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्राविधिक /लागत	बचत	बचत उपरान्त की लागत	अनुरक्षण की लागत	अनुरक्षण की लागत घटाने के उपरान्त धनराशि	अब तक का आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**नि.ख.-1 खीरी**	एएस0आई0के0 के किमी0 9 से राठौरपुरवा सम्पर्क मार्ग का पुननिर्माण का कार्य।	29.40/ 25.20	1.75	23.45	1.99	21.46	21.29	0.17
2	**नि.ख.-1 खीरी**	तेलियार देवीपुरवा मार्ग से भूदरपुरवा मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य।	9.17/ 8.25	1.00	7.25	0.62	6.63	6.48	0.15
3	**नि.ख.-1 खीरी**	पढुआ चदैयापुर रोड़ से दुलहीपुरवा मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य।	21.25/ 19.22	0.72	18.5	1.44	17.06	16.43	0.63
4	**नि.ख.-1 खीरी**	परसिया लाखुन सी0सी0 ट्रेक का पुर्ननिर्माण का कार्य।	25.98/ 24.22	5.50	18.72	1.76	16.96	16.59	0.37

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

5	**नि.ख.-1 खीरी**	रमियाबेहड़ ढकरेवा मार्ग से लखनपुरवा गन्ना केन्द्र तक पे0 मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य।	40.50/ 37.58	4.58	33.00	2.13	30.87	27.40	3.47
6	**नि.ख.-1 खीरी**	सिंगावर रोड से बेचरी सम्पर्क का मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य।	61.82/ 55.01	5.63	49.38	4.18	45.20	40.03	5.17
7	**नि.ख.-1 खीरी**	जटपुरवा कफारा मार्ग से सुखनीपुरवा सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य।	39.21/ 35.24	3.18	32.06	2.65	29.41	15.39	14.02
8	**नि.ख.-1 खीरी**	दुबग्गा पी0डब्लू0डी0 मार्ग से जमकोहना किमी0 1 व 2 का पुनर्निर्माण का कार्य।	99.76/ 90.93	12.16	78.77	6.75	72.02	63.19	8.83
9	**नि.ख.-1 खीरी**	रामापुर अमकोटवा मार्ग का द्वितीय भाग के किमी0 1(790) का पुनर्निर्माण का कार्य।	31.74/ 30.36	1.98	28.38	2.15	26.23	18.86	7.37
10	**नि.ख.-1 खीरी**	बरौला सिसौरा मार्ग से सुखविन्दर सिंहझाला तक किमी0 1(500) का पुनर्निर्माण कार्य।	40.97/ 36.04	4.30	31.74	2.77	28.97	13.41	15.56
11	**नि.ख.-1 खीरी**	ढकरेवा गिरिजापुरी रोड़ से लखनियापुर मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	23.46/ 21.25	0.00	21.25	1.59	19.66	17.91	1.75
12	**नि.ख.-1 खीरी**	दियारतनपुर से ईसापुर के किमी0 1 एवं 2(200) में पुनर्निर्माण का कार्य।	58.17/ 54.29	4.87	49.42	2.49	46.93	36.08	10.85
13	**नि.ख.-1 खीरी**	लखनपुरवा पंचायत भवन से लखनपुरवा सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	22.71/ 21.33	1.02	20.31	0.98	19.33	11.23	8.10
14	**नि.ख.-1 खीरी**	लखीमपुर पी0डब्लू0डी0 रोड से बहैड़ का पुनर्निर्माण का कार्य।	77.93/ 69.51	13.10	56.41	5.28	51.13	48.63	2.50
15	**नि.ख.-1 खीरी**	ग्राम सभा परसिया ज्वाला सिंह के घर से समैसा लाखुन मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	21.03/ 19.40	0.00	19.40	0.700	18.70	8.18	10.52
16	**नि.ख.-1 खीरी**	हजरतापुर अंजनापुर मार्ग के किमी0 1(600) का पुनर्निर्माण का कार्य।	53.79/ 47.93	0.64	47.29	3.17	44.12	38.26	5.86
17	**प्रा.ख. खीरी**	लखीमपुर मोहम्मदी से कुम्भी चीनी मिल चैराहे तक वाया कुम्भी ग्राम का अवशेष भाग सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य	43.94/ 41.11	0.00	41.11	2.78	38.33	38.11	0.22
18	**प्रा.ख. खीरी**	ग्राम वीरपुर से कुम्भी सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य	44.69/ 41.87	0.00	41.87	2.83	39.04	31.08	7.00
19	**प्रा.ख. खीरी**	बौधीखुर्द से सहसपुर बिझौली सम्पर्क मार्ग पर पुनर्निर्माण का कार्य।	188.85	44.98	143.87	12.90	130.97	87.98	42.99
20	**नि.ख.-4 सीतापुर**	लहरपुर रोड से जैतापुर	49.09	7.06	42.03	3.27	38.76	27.30	10.73
21	**नि.ख.-4 सीतापुर**	बिसुनपुर से मगरूवा सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य	24.83/ 23.72	3.28	20.44	1.68	18.76	14.31	4.13
22	**प्रा.ख. खीरी**	पीडब्लूरोड से मनिकापुर सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य	23.28/ 19.49	0.00	19.49	1.32	18.17	15.28	2.89

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	**प्रा.ख. खीरी**	लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग से बम्हनियारपुर सम्पर्क मार्गका पुनर्निर्माण का कार्य।	45.04/ 42.12	0.00	42.12	2.86	39.26	38.26	1.00
24	**नि.ख.-1 हरदोई**	चीनी मिल गेट से बिन्धैया पाण्डेयपुर सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण के साथ चौड़ीकरण का कार्य।	272.35/ 271.79	12.52	259.27	17.60	241.67	100.02	20.00
25	**नि.ख.-1 हरदोई**	चीनी मिल गेट से बिन्धैया मार्ग भाग-1,2,3 का पुनर्निर्माण के साथ चौड़ीकरण का कार्य।	256.97/ 256.61	9.75	246.86	16.46	230.40	91.13	20.00
26	**प्रा.ख. बलरामपुर**	बिनोहनी भवनियापुर मार्ग से हरिहरपुरवा खपरीपुर का पुर्ननिर्माण कार्य	86.57	0.89	85.68	5.86	79.82	40.36	39.46
27	**प्रा.ख. गोण्डा**	संगीपुर मगरावा पेन्टेड रोड से तिनोहना सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य।	44.73	0.07	44.66	3.03	41.63	36.44	5.19
28	**प्रा.ख. गोण्डा**	संगीपुर पेन्टेड रोड से मंगरावा सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य।	38.27	0.05	38.22	2.59	35.63	31.18	4.45
29	**प्रा.ख. गोण्डा**	संगीपुर मगरावा पेन्टेड रोड से तिनोहना पक्की सड़क तक सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य।	22.57	0.02	22.55	1.53	21.02	18.52	2.50
			योग						**255.88**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लोक निर्माण विभाग द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों की समस्त शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ओन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक: 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सी०सी०एल०प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक: 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित आवंटन में से अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,55,88,000 (रुपये दो करोड़ पचपन लाख अट्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371355 चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण / नवनिर्माण /पुनर्निर्माण कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- उप सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।